

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक—6 / ब0गै0यो0—01—28 / 2016 गृ0आ0.....पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लो0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :— वित्त विभाग।

विषय :— वित्तीय वर्ष 2016—17 में गैर—योजना के मांग संख्या—22, मुख्य शीर्ष 2055—पुलिस, उप मुख्यशीर्ष—00, लघु शीर्ष 109—जिला पुलिस, उपशीर्ष 0005—स्पेशल ऑफिजलरी पुलिस, विषय शीर्ष 28 01—व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं तथा विपत्र कोड N2055001090005 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 003—शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0004—उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी, विषय शीर्ष 20 03—प्रशिक्षण व्यय तथा विपत्र कोड N2055000030004 अंतर्गत कुल ₹ 50,00,000 (पचास लाख रु0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :— बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु० :— अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0—6 / ब0गै0यो0—01—28 / 2016 गृ0आ0.....७५५२ पटना, दिनांक १५ सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा—5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आईटी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा नन्दन प्रसाद
०९६९११६

सरकार के अवर सचिव

मुख्यमंत्री